न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 52/2019

अपीलार्थी

1. श्रीमती चम्पाबेन पत्नि श्री विनुभाई जाति भील(चौधरी)
2. सुश्री दीपिका कुमारी पुत्री श्री विनुभाई जाति भील(चौधरी)
3. सुश्री नेहाबेन पुत्री श्री विनुभाई जाति भील(चौधरी)
4. श्री मितेश कुमार पुत्र श्री विनुभाई जाति भील(चौधरी)
   सर्व निवासीयान–एफ 5 सरकारी वसाहट नवी कोर्ट नी बाजु मा अटवा लाईन्स सूरत जरिये पॉवर ऑफ एटोनी होल्डर जयेश कुमार पुत्र श्री विनुभाई भील(चौधरी)
5. श्री जयेश कुमार पुत्र श्री विनुभाई जाति भील(चौधरी) निवासी एफ 5 सरकारी वसाहट नवी कोर्ट नी बाजु मा अटवा लाईन्स सूरत।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा जिला सिरोही।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :
1. श्री राजेन्द्रसिंह आढा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. नायब तहसीलदार (पेरोकार राज.)

निर्णय दिनांक : 03.06.2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत उपतहसीलदार भावरी द्वारा उनके नामान्तरकरण संख्या 2512 दिनांक 11.06.2018 के विरूद्ध दिनांक 11.12.2019 को प्रस्तुत की जिस पर अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया, रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई । अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि अपीलांटगण की गांव रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही में खसरा संख्या 3884 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा राजस्व आराजी [illegible]टगण के पिता श्री विनुभाई पुत्र श्री जामलाभाई ने पूर्व रसाधिकारी [illegible] श्री करणिया पुत्र श्री रामाजी से खरीद कर मौके पर [illegible] नियमानुसार पंजीयन उपपंजीयक भावरी के कार्यालय में दिनांक [illegible]2000 को कराया था। उक्त पंजीयन के पश्चात नियमानुसार [illegible] नाम नामान्तरकरण पारित किया गया था तब [illegible] बतौर खातेदार अपने [illegible] जक जताते व बताते काबिज काश्त है एवं काश्त करवाते आ रहे है। अपीलांटगण के पिता की मृत्यु के पश्चात नियमानुसार नामान्तरकरण दायर करने हेतु प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण का नोट लगाकर भूअभिलेख निरीक्षक को प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:09:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

किया जिन्होने भी दिनांक 11.06.2018 को ही अंकन पत्रों से तुलना की पेढीपत्रक अनुसार इन्द्राज सही है का नोट लगाकर दिनांक 11.06.2018 को ही उपतहसीलदार भावरी के समक्ष प्रस्तुत किया जिन्होने भी उक्त नामान्तरकरण को उसी समय स्वीकृत कर दिया लेकिन उसके पश्चात आगामी तारीखों में पुनः पिछली दिनांक 11.06.2018 में ही पटवारी हल्का ने नोट लगाया तथा भूअभिलेख निरीक्षक ने भी अपनी पूर्व की रिपोर्ट को काटकर नई रिपोर्ट उसी तारीख में लिखने का अंकन किया तथा उपतहसीलदार भावरी द्वारा स्वीकृत के आगे अ जोडकर अस्वीकृत का अंकन लगाकर उक्त नामान्तरकरण को अस्वीकार करने में कानूनन व वाक्यातन गलती है जिससे अपीलांट को राजस्व आराजी में होने वाली खेती के बीमा तथा किसान क्रेडिट कार्ड तथा सरकारी योजनाओं के लाभों से अपीलांट को वंचित होना पड रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नामान्तरकरण संख्या 2512 दिनांक 11.06.2018को निरस्त किया जाना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में किसी भी प्रकार की कानूनन व वाक्यातन गलती नहीं की गई है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण को अस्वीकार किया गया है। अपीलांट के मृत्यु प्रमाण पत्र में जाति चौधरी का अंकन होने के कारण ही उक्त आदेश पारित किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का कोई आधार नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज किया जाना फरमावें।

दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि विवादित भूमि गांव रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही में खसरा संख्या 3884 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा राजस्व आराजी आई हुई है। उक्त आराजी अपीलांटगण के पिता श्री विनुभाई पुत्र श्री जामलाभाई ने पूर्व रसाधिकारी खातेदार श्री करणिया पुत्र श्री रामाजी से खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया था एवं उसका नियमानुसार पंजीयन उपपंजीयक भावरी के कार्यालय में दिनांक 28.04.2000 को कराया था। उक्त पंजीयन के पश्चात नियमानुसार अपीलान्ट के पिता श्री विनुभाई वल्द जामलाभाई के नाम नामान्तरकरण पारित किया गया था तब से बतौर खातेदार अपने खातेदारी जक जताते व बताते काबिज काश्त है एवं काश्त करवाते आ रहे है। अपीलांटगण के पिता की मृत्यु के पश्चात नियमानुसार नामान्तरकरण दायर करने हेतु दिनांक 11.06.2018 को प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण का नोट लगाकर तथा साथ ही पुनश्चः लिखकर मृत्यु प्रमाण पत्र में चौधरी जाति दर्ज होना तथा खातेदारी में जाति भील दर्ज होने का नोट लगाकर भूअभिलेख निरीक्षक को प्रस्तुत किया जिन्होनें मृत्यु प्रमाण पत्र में जाति चौधरी दर्ज होने के कारण रेकर्ड के अनुसार जाति मेल नहीं खाने के आधार पर नामान्तरकरण को काबिल खारिज करने की सिफारिश की गई तथा उपतहसीलदार भावरी द्वारा उक्त नामान्तरकरण को अस्वीकार किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:09:33 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के ... है कि अपीलांट के मृत्यु प्रमाण पत्र में जाति चौधरी अंकित ... जाति चौधरी का अंकन होने के कारण ही अधीनस्थ न्यायालय ... नामान्तरकरण को अस्वीकार किया गया है। चूंकि खातेदारी भूमि में अपीलांट की जाति ... दर्ज है जो अनुसूचित जनजाति में

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

आती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि गुजरात राज्य में चौधरी जाति को भील जाति की उपजाति मानकर अनुसूचित जाति में ही माना है जिसका अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। गुजरात सरकार द्वारा अपीलांट को अनुसूचित जनजाति का होने का प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो पत्रावली पर भी उपलब्ध है। अतः उक्त नामान्तरकरण को पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय दस्तावेजों का अवलोकन नहीं करना प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को अवलोकन कर नियमानुसार नामान्तरकरण आदेश पारित करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:09:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner